


गायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द

57 सन् 2014  
किस्म मुकदमा वाद  
2तन देवी बनाम रुस्तूर बाई वगैरह

आदेशिका

30 <sup>07</sup> 2020	पत्रावली पेश हुई। PD की पालना तहसीलदार में आपात पुनः स्मरण पत्र लिखा जावे। पत्रावली दिनांक 21.09.2020 को पेश हो	हस्ताक्षर/सूचना
21 <sup>09</sup> 2020	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारीजी निर्वाचन कार्य। <del>अनुमति</del> में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 25.11.2020 को पेश हो	
25 <sup>11</sup> 2020	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारीजी निर्वाचन कार्य। में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 08.03.2021 को पेश हो	
18 <sup>01</sup> 2021	अधिवक्ता वादी <del>द्वारा</del> द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने से पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादी <del>की</del> ने बताया कि तहसीलदार कुम्भलगढ़ से प्रारम्भित सिद्धी की पालना प्राप्त हुई है जिस पर कोई आपाते नहीं है। तहसीलदार कुम्भलगढ़ से प्राप्त विभाजन फहरिस्त्र एवं ट्रेस स्वीकार कर उसी अनुशासक राजसमन्द में प्रेषित हेतु फाइल डिडी जारी कराई जावे। तहसीलदार कुम्भलगढ़ से प्राप्त विभाजन फहरिस्त्र व नक्शा ट्रेस शामिल निमत डिडे जाकर अधिवक्ता वादी <del>की</del> बहस पर सतत डिडे व पत्रावली	 <p>आपकी नहीं है। asik अधिवक्ता वादीगण</p>

सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़  
जिला-राजसमन्द

का प्रवर्धन किया गया। अर्थात् वादी का  
 को प्राप्त विभाजन फहरिस्त्र एवं नम्बरा ड्रेस  
 पर कोई आपत्ति नहीं होगे से प्राप्त  
 विभाजन फहरिस्त्र व नम्बरा ड्रेस स्वीकार  
 किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया  
 जाता है एवं डिडी नं० 131 ग्राम केलवाड़ा की  
 जमाबंदी सम्बन्ध 2068-71 के खाता संख्या  
 63 क्रि. - 23 कुल रकम 11-11-10 बीघा  
 भूमि का स्वीकार की तदनुसार कुम्भलगढ  
 से प्राप्त विभाजन फहरिस्त्र व नम्बरा ड्रेस  
 को स्वीकार किया जाता है एवं उसी  
 अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंश करने का  
 व डिडी जारी करने का आदेश दिया  
 जाता है। तदनुसार डिडी पत्र जारी  
 हो। स्वीकृत विभाजन फहरिस्त्र व नम्बरा  
 ड्रेस डिडी का अग्रिम भाग रहेगा।  
 पालना हेतु तदनुसार कुम्भलगढ की  
 डिडी की उमावित पत्र व स्वीकृत विभाजन  
 फहरिस्त्र व नम्बरा ड्रेस भेजा जावे।  
 पत्रावली फिलहाल भुगत ले कर गारुट  
 से कम हो। त्रिषयि सुले न्यायालय  
 में सुनाया गया।



सहायक कलक्टर  
 (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ  
 जिला-राजसमन्द